222

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1280–एक/2016 – विरूद्ध– आदेश दिनॉक 28–1–2016 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 229/2014–15 अपील

1– श्रीमती दुलारीवाई पत्नि जगदीश धाकड़
ग्राम कस्वा बड़ौदा जिला श्योपुर
2– श्रीमती मुन्नीवाई पत्नि नारायण
ग्राम पहाडली तहसील बडौदा जिला श्योपुर
3– श्रीमती पार्वती पत्नि रामकिशन
ग्राम इन्द्रपुरा तहसील बडौदा जिला श्योपुर
4– श्रीमती संतोष पत्नि दिनेश धाकड़
ग्राम इन्द्रपुरा तहसील बड़ौदा जिला श्योपुर
व्दारा मुख्त्यारआम
नारायण पुत्र भॅवरलाल धाकड़ ग्राम पहाडली
व अजापुर तहसील व जिला श्योपुर ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– तुलसीराम 2– रामरतन धाकड़
पुत्रगण कन्हैया धाकड़ ग्राम अजापुरा
तहसील व जिला श्योपुर --अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री लखन सिंह धाकड़)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)

आ दे श

(आज दिनॉक 23 –9 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 229/14–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–1–2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश है कि ग्राम प्रेमसर स्थित कुल किता 3 कुल रकबा 31 वीघा 19 विसवा के हिस्सा 1/2, ग्राम प्रेमपुरा हवेली के कुल किता 2 कुल रकबा 16 वीघा 15 विसवा में से हिस्सा 1/2 तथा ग्राम अजापुरा की भूमि कुल किता 5 कुल रकबा 43 वीघा 14 विसवा में हिस्सा 1/2 तथा ग्राम फिलोजपुरा की भूमि सर्वे कमांक 161 रकबा 2 वीघा 4 विसवा के हिस्सा 1/2 (इन्हीं भूमियों को आगे वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया गया है) के सहभूमिस्वामी गोविन्दा थे। गोविन्दा के कोई पुत्र नहीं था किन्तु उसकी पत्नि भॅवरीवाई तथा चार पुत्रियॉ थीं। गोविन्दा की मृत्यु उपरांत अनावेदकगण ने बसीयत के आधार पर नामान्तरण की मांग की, जिस पर आवेदकगण व्दारा उत्तराधिकारिता के आधार पर आपत्ति की। तहसीलदार श्योपुर ने प्रकरण कमांक 139/10-11 अ-6 पंजीबद्व किया एंव हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 31-12-2011 पारित किया तथा उत्तराधिकारिता के आधार पर आवेदकगण का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर ने प्रकरण कमांक 29/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-7-12 से अपील अस्वीकार की। इस आदेश के विरूद्व अनावेदकगण ने अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 229/14-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-1-2016 से अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर एंव तहसीलदार श्योपुर के आदेश निरस्त कर दिये। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में आये विवरण के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि अनावेदक वादग्रस्त भूमियों पर बसीयत के आधार पर नामान्तरण करने की मांग कर हैं और बताते हैं कि मृतक भूमिस्वामी के कोई पुत्र नहीं है इसलिये उनके नाम वादग्रस्त भूमि की जावे, जबकि मृतक भूमिस्वामी गोविन्दा की पत्नि एंव चार पुत्रियॉ हैं - विचार योग्य है कि मृतक व्दारा छोड़ी गई कृषि भूमि पर नामान्तरण नोटरी अभिभाषक व्दारा लिखी गई बसीयत के आधार पर किया जावेगा अथवा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अनुसूची एक के वारिस के जीवित व उपलब्ध रहते हुये वारिसाना हक पर नामांत्रण किया जावेगा। जब मृतक की विरासत में उसकी पत्नि एंव चार पुत्रियॉ जीवित हैं मृतक की कृषि भूमि पर नोटरी व्दारा की गई बसीयत प्रभावशाली नहीं मानी जा सकती, क्योंकि अनुसूची एक के वारिसों के रहते नामान्तरण इन्हीं वारिसानों का किया जावेगा। इस सम्बन्ध में तहसीलदार श्योपुर व्दारा आदेश दिनांक 31-12-2011 में निकाले गये निष्कर्ष एंव अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर व्दारा आदेश दिनांक 16-7-12 में निकाले गये निष्कर्ष विधि अनुरूप है जबकि अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 229/14-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-1-2016 में निकाले गये निष्कर्ष दूषित मनोदशा के पाये गये हैं। जहॉ तक मान0 व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 21 ए/2012 में पारित आदेश दिनांक 16-10-12 का प्रश्न है इस आदेश में वादग्रस्त भूमि के हिस्सा 1/2 को विकय अथवा अंतरित करने से निषेधित करने की आज्ञा है, अपितु मृतक के स्थान पर नामान्तरण आदि करने पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। इसके वाद भी

अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 229/14-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-1-2016 से तहसीलदार श्योपुर के प्र0क0 139/10-11 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 31-12-11 तथा अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 29/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-7-12 में निकाले गये विधि अनुकूल आदेशों को निरस्त करना पूर्णतः दूषित कार्यवाही है जिसके कारण अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 229/14-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-1-2016 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 229/14-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-1-2016 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 29/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-7-12 तथा तहसीलदार श्योपुर व्दारा प्र0क0 139/10-11 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 31-12-11 विधिवत् होने से यथावत् रखे जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर